न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

(म0प्र0) R 4092-I-16

1. तुलसीराम पटेल पिता श्री रामचरन पटेल पेशा कृषि निवासी ग्राम पाला अर्जुनी पो.आ. कुण्डलपुर तह. पटेरा जिला दमोह म.प्र. मोबाइल नंबर- 9826541046
2. मुकेश आदिवासी पिता श्री रघुनाथ आदिवासी निवासी ग्राम विलगुवा पो.आ. कुण्डलपुर तह. पटेरा जिला दमोह म.प्र. मोबाइल नंबर - 9826541046

17 NOV 2016

<u>पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण</u>

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
द्वारा तहसीलदार महोदय पटेरा जिला दमोह म.प्र.

......................उत्तरवादी/अनावेदक

दावा- पुनरीक्षण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. सं. 1959

प्रश्नाधीन आदेश न्यायालय तहसीलदार पटेरा द्वारा रा.प्र.क्र. 2अ/68
वर्ष 16-17 पेशी दिनांक 18.11.16 में संथित आदेश दिनांक 17.10.16 एवं आदेश दिनांक 03.11.16

103
29.11.16

ओदश दिनांक 07.11.16 तथा आदेश दिनांक 16.11.16

पुनरीक्षणकर्तागण उपरोक्त मामले मे निम्न लिखित पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है।

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 ग्राम विलगुवा ग्राम पंचायत विलगुवां तह.पटेरा जिला दमोह म.प्र. का स्थाई निवासी है तथा विलगुवां में पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 को आवासहीन तथा विशेष अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के कारण म.प्र. भू.रा.सं. 1959 की धारा 244 अ के अंतर्गत मौजा विलगुवा पुराना प.ह.नं. 58 नया 43 पुराना तहसीलदार हटा नया पटेरा के आवादी क्षेत्र का खसरा नंबर 2 कुल रकवा 0.410 हे0 के अंश भाग पर 30गुणा 30 कुल 900 वर्ग फुट का पट्टा ग्राम विलगुवा द्वारा दिनांक 28.01.1999 में दिया गया था जिस पर पट्टा प्राप्ति के 6 माह के अंदर पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 ने अपना आधा पक्का आधा कच्चा जिसमें नीव दासा पथ्थर का व दिवाले कच्ची ईटों की बनाकर मकान का निर्माण कर लिसा था तथा मकान में निवास करनें लगा था।
2. यह कि मौजा विलगुवा प.ह.नं. 43 राजस्व निरीक्षण मंडल पटेरा तह. जिला दमोह की खसरा नंबर 2 कुल रकवा 0.410 हे0 भूमि शासकीय आवादी भूमि है तथा यह भूमि न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह के आदेश क्र-2 दिनांक 13.12.1996 के

जितेन्द्र सिंघई
94251-71223
7000853503

मुकेश

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4092-एक/2016 जिला दमोह

तुलसीराम विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पटेरा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 2/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 08/3/19 (आर.के.जैन) सदस्य	